

99/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

इस प्रकार खलत नम्बर 336/179,
275/175 व 282/179 पर इन्तर्दि
लम्बान आदेश जारी नहीं किया था।
चाहे कि या। क्योंकि जायगी की एक
हुक्म खलत नम्बर 337/179 से है
लेकिन लम्बान आदेश जारी होने की
बाद विद्यार्थी संख्या 3 से 5 इन्तर्दि
परेशान हो रहे हैं। ठीकी तरह में जायगी
पर स्वीकार प्रोग्र है।

लिहाजा जायगी पर 0-39, R-04
का स्वीकार किया जाकर न्यायालय है।
जारी अन्तर्दि लम्बान आदेश खलत
नम्बर 275/175, 282/179 व 336/179
पर अपास्त किया जाता है। इन्तर्दि खलत
पर लम्बान आदेश जारी नहीं रहेगा। शेष
खलत पर लम्बान आदेश पूर्व आदेशानुसार
प्रकार रहेगा। पत्रावली वाले - विद्यार्थी
संख्या 1, 2 इन्तर्दि एक अवक दिनांक
06.06.2023 को चेखा हों।

12/06/2023
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

06/6/2023 क्वीस जायगी उपलक्षण। विद्यार्थी
संख्या 3 से 5 के क्वीस उपलक्षण।
प्रकार के आदेशानुसार शेष विद्यार्थी
के विषय उक्त नम्बर कार्यालय अफस में
छाई जाती हैं। उक्त पर आदेशानुसारों की
प्रकार जारी गई और सबका पर मन
किया तथा पत्रावली का गम्भीर - पूर्व
इन्तर्दि किया। तबिलों पादा कि वाद
विद्यार्थी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियलय जज

खतरेदारी बोलना संभव है। इस
कारण इसके लिए मैं केवल
इंतजार नहीं कर रहा हूँ।
उत्तर उत्तर लेता हूँ।

गणेशजी का शाब्दिक
संकेत कि मैं आपको
जारी 19.4.2022 को शाब्दिक
को भूलने के लिए लक्ष्य
कि मैं हूँ। लेकिन शाब्दिक
10.5.2023 के शाब्दिक
शाब्दिक उत्तर नहीं रहेगा।

शाब्दिक उत्तर

पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः
पुनः पुनः पुनः पुनः पुनः

गणेशजी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा